

**न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)**  
**पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)**  
**प्रकरण संख्या: 13/2025/ सरफैसी**

एस एम एफ जी इण्डिया होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड (पूर्व नाम फुलर्टन इण्डिया होम फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय: थर्ड फ्लोर, नंबर 307, मेघ टॉवर, पी.एच. रोड, मधुरावोयल, चेन्नई कॉर्पोरेट कार्यालय: 5 व 6, "बी" विंग, सुप्रीम बिजनेस पार्क, सुप्रीम सिटी, पोवई मुम्बई-400076, शाखा कार्यालय- केसर मॉल, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट न. 115-ए, अपेक्स मॉल के सामने, बापू नगर, टॉक रोड, जयपुर 302015

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. मुकेश कुमार गर्ग प्रथम पता- 12-13, बालाजी विहार, एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, मनवाखेडा, (रूरल) उदयपुर राजस्थान। द्वितीय पता- 12-13, खसरा न. 1272 बालाजी विहार, एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, उदयपुर राजस्थान।
2. कुसुम लता गर्ग प्रथम पता-34, परिवहन नगर, पानेरियो की मण्डी, सवीना (रूरल) एच. मगरी उदयपुर राजस्थान। द्वितीय पता- 12-13, खसरा न. 1272 बालाजी विहार, एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, उदयपुर राजस्थान।

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**



**उपस्थित: श्रीमती श्वेता जैन अधिवक्ता प्रार्थी**

**आदेश**

**दिनांक 21/1/25**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को स्वीकृत राशि 15,72,524/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (प्लॉट नंबर 12-13, खसरा न. 1272 बालाजी विहार, ग्राम-एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, उदयपुर राजस्थान में जिसका कुल क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट है। जिसकी चारो सीमाओं में पूर्व में: रोड 30 फीट, पश्चिम में: अन्य भूमि, उत्तर में: प्लॉट सं. 14 दक्षिण में प्लॉट सं. 11 स्थित है।) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 10.08.2024 तक 16,09,909/-रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी

**जिला कलक्टर  
उदयपुर**

बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 15,72,524/-रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 10.08.2024 तक 16,09,909/- रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहीत न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (प्लॉट नंबर 12-13, खसरा न. 1272 बालाजी विहार, ग्राम-एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, उदयपुर राजस्थान में जिसका कुल क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट है। जिसकी चारो सीमाओं में पूर्व में: रोड 30 फीट, पश्चिम में: अन्य भूमि, उत्तर में: प्लॉट सं. 14 दक्षिण में प्लॉट सं. 11 स्थित है) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता हैं।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल )  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर